

9cms
2020/00094
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणघरी तहसील सिणघरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

यनाम

श्री. सलुडेवी

हलका ~~श्रीका कवालीसिडे~~

पुत्र श्री. ब्रह्मनाथ जाति काठरी

निवासी ~~श्रीका कवालीसिडे~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 91/वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	<p>पटवारी हलका श्रीका कवालीसिडे ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् (2020) में मौजा श्रीका कवालीसिडे के खसरा नंबर 27/3 रकबा 200 वर्ग फी. किस्म भूमि श्रीका कवालीसिडे पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है. अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10/01/2021 को बमुकाम सिणघरी में पेश हों।</p>	
11-01-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीबलीम अधिकारी राजकीय कार्य हेतु कोचपुर पंचायत हे पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।</p>	<p>सलुडेवी</p>
18/01/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जबाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/01/2021 में पेश हो।</p>	<p>सलुडेवी</p>

तहसीलदार सिणघरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणघरी
जिला-बाड़मेर

27-01-221 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल की तरफ से उनके वहील ने उपरिक्त होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021 ~~पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी साठ उभुटी पर सिवाना पत्रावली है पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।~~
10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपालने। गैर सामल को जवाब हेतु मन्त्रिम भवलय दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सामल अनुपालने। गैर सामल को बार-बार जवाब हेतु भवलय दिने जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सामल को मतिछानी मानते हुए पत्रावली फैलल सुगार है। निर्णय भलग नि लिख्य जाकर शपिठिक पत्रावली है। पत्रावली फैलल सुगार है कर दायित्व दफतर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर